न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

निगरानी संख्या :– 07 / 2018

भोजराज शर्मा पुत्र श्री महावीरप्रसाद शर्मा, जाति ब्राहम्मण निवासी ग्राम गुढा गौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

– निगरानीकार

–बनाम–

1. ग्राम पंचायत गुढागोड़जी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत, गुढागोडत्रजी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू राज.।
2. संजय शर्मा, पुत्र शम्भुनाथ शर्मा, जाति ब्राहम्मण निवासी सीताराम ठाकुर वाडत्री, कटहरिया रोड़ नं.8 बांका बिहार।

– गैर निगरानीकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज. अधि0 1994 विरूद्ध
प्रस्ताव व पट्टा संख्या 18 दिनांक 5.5.2009 ग्राम पंचायत गुढा गौड़जी
गैर निगरानीकार सं0 2 संजय शर्मा के हक में पट्टा जारी किया गया
उक्त पट्टा संख्या 18 दिनांक 5.5.2009

उपस्थितिः–

1. श्री कृष्ण कुमार शर्मा, एडवोकेट ––––––निगरानीकार की ओर से ।
2. श्री प्रदीप कुमार शर्मा, एडवोकेट –––––गैर निगरानीकार की ओर से ।

–निर्णय– दिनांक 05.05.20222

उक्त निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज. अधि0 1994 विरूद्ध प्रस्ताव व पट्टा संख्या 18 दिनाक 5.5.2009 ग्राम पंचायत गुढा गोड़जी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि– निगरानीकार का कथन है कि उसके स्वामित्व, अधिकार, कब्जे आधिपत्य का एक रजिस्टर्ड पट्टेशुदा मकान ग्राम गुढागौड़जी में स्थित है

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.09 16:51:59 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

जिसकी चतुर्थसीमा उत्तर में–रमाकान्त की भूमि, दक्षिण में–विनोद शर्मा के मकानात, पूर्व में – रास्ता, पश्चिम में – महावीर प्रसाद शर्मा प्रार्थी के पिता के मकान जिनका नाप उत्तर की ओर – 15.9, 16.9 फीट,दक्षिण की ओर 40.3 फीट, पूर्व की ओर 41 फीट, पश्चिम कीओर 39.6 फीट कुल क्षेत्रफल 184.29 वर्गगज है। उपरोक्त वर्णित मकान प्रार्थी के स्वामित्व, अधिकार,कब्जे आधिपत्य का है जिसे सम्बन्ध में गैर निगरानीकार संख्या 1 ने प्रार्थी निगरानीकार के हक में दिनांक 20.7.2017 को पट्टा संख्या 43 जारी किया है तथा उक्त मकान का पट्टा प्रार्थी के हक में पुराने कब्जे व स्वामित्व के आधार पर सम्पूर्ण रिपोर्ट कर विधिक प्रक्रिओं का पालन कर विधिक एवं वैध रूप से मौके अनुसार जारी किया गया है तथा उक्त पट्टे का रजिस्ट्रेशन उप पंजीयक गुढागौजी के यहां दिनांक 5.1.2018 को हुआ है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित मकान का प्रार्थी के हक में पट्टा संख्या43 रजिस्टर्ड पट्टा है। प्रार्थी उक्त मकान का रजिस्टर्ड मालिक है। प्रार्थी का विधिवत विद्युत कलेक्शन है। उक्त मकान पिछले 50 वर्षों से पूर्व से स्व हीरालाल ने ग्राम गुढागोड़जी में प्रार्थी के दादा बंशीधर को दिया था जिसके सम्बन्ध में एक लिखावट भी दिनांक 5.5.1971 को हीरालाल ने की थी तथा बाद में स्वामित्व कब्जे के सभी अधिकार प्रार्थी के दादा बंशीधर को सौंप दिये थे । इस प्रकार पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से पहले प्रार्थी के दादा बंशीधर, फिर प्रार्थी के पिता महावीर प्रसाद व वर्तमान में प्रार्थी के स्वामित्व कब्जे का है। प्रार्थी के पिता ने जरिये आपसी फैमिली सेटलमेन्ट उक्त मकान प्रार्थी को दे दिया। मकान काफी पुराना जर्जर हो गया है। प्रार्थी व उसके परिवार द्वारा ही उक्त मकान का मलबा जो रास्ते में गिर गया था उसे उठाया गया है। प्रार्थी व उसके परिवार द्वारा ही उक्त मकान में चारदिवारी व लेटरिन बाथरूम बनवाये हैं, सुधार कार्य करवाये गये हैं। तथाकथित एक व्यक्ति संजय शर्मा ने दिनांक 26.6. 2018 को प्रार्थी को उक्त मकान पर आया तथा मकान का तथाकथित पट्टा संख्या 18 दिनांक 05.5.2009 होना बताया। प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दी है। संजय शर्मा पुत्र शम्भुनात शर्मा निवासी गुढागौड़जी के नाम से तथाकथित पट्टा संख्या 18 दिनांक 5.5.2009 गैरनिगरानीकार बिना किसी आधार पर जारी किया है। तत्कालीन सरपंच व वार्ड पंच प्रार्थी व उसके परिवार से रंजिस रखते थे व राजनैतिक [illegible] हैं इसलिये तथाकथित पट्टा गलत रूप से ब्लेकमेल करने के लिये जारी किया [illegible] है जो निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.09 16:51:59 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

उक्त वर्णित मकान पर बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक काबिज है, प्रार्थी का रजिस्टर्ड पट्टा संख्या 43 दिनांक 20.7.2017 है जिसका रजिस्ट्रेशन दिनांक 5.1.2018 को उप पंजीयक गुढा गोड़जी से हुआ है। 50 वर्षों से अधिक समय से प्रार्थी का परिवार उक्त वर्णित मकान पर बतौर मालिक काबिज रहा है। प्रार्थी की रिहायश है, सम्पूर्णा विधिक प्रक्रिया का पालन कर मौके की जांच कर सही रूप से प्रार्थी के हक में पट्टा संख्या 43 दिनांक 20.7.2017 जारी किया गया है। राज0 पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 ए के तहत आबादी में स्थित कब्जेशुदा 50 वर्षों से कब्जेशुदा आवासीय मकानों का पट्टा जारी किया जा सकता है। संजय शर्मा जिसके नाम से तथाकथित पट्टा संख्या 18 दिनांक 5.5.2009 जारी किया गया है, वह कभी गुढा में नहीं रहा, ना जन्म हुआ ना कभी इसका कोई पूर्वज यहां रहा है, ना ही कभी गुढा में इनकी कोई रिहायश रही है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में दर्ज प्रोविजनों के अन्तर्गत उक्त पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। गैर निगरानीकार संख्या–2 संजय शर्मा भूमाफियों से मिलकर उक्त अवैध, गलत साजसी फर्जी तथाकथित पटटा संख्या 18 की आड में प्रार्थी के मकान को विक्रय करना चाहता है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत गुढागोड़जी द्वारा जारी प्रस्ताव व पट्टा संख्या 18 दिनांक 5.5.2009 निरस्त फरमाया जावे तथा उक्त पट्टा के लिये की गई समस्त कार्यवाही निरसत किये जाने का आदेश दिया जावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की बहस निगरानी सुनी गई।

दौराने बहस वकील निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:– स्वामित्व, अधिकार, कब्जे आधिपत्य का एक रजिस्टर्ड पट्टेशुदा मकान ग्राम गुढागौड़जी में स्थित है जिसकी चतुर्थसीमा उतर में– रमाकान्त की भूमि, दक्षिण में–विनोद शर्मा के मकानात, पूर्व में – रास्ता, पश्चिम में – महावीर प्रसाद शर्मा प्रार्थी के पिता के मकान जिनका नाप उत्तर की ओर – 15.9, 16.9 फीट, दक्षिण [illegible] ओर [illegible]3 फीट, पूर्व की ओर 41 फीट, पश्चिम की ओर 39.6 फीट कुल क्षेत्रफल 184.29 वर्ग[illegible] है। उपरोक्त वर्णित मकान प्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.09 16:51:59 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

स्वामित्व, अधिकार,कब्जे आधिपत्य का है जिसे सम्बन्ध में गैर निगरानीकार संख्या 1 ने प्रार्थी निगरानीकार के हक में दिनांक 20.7.2017 को पट्टा संख्या 43 जारी किया है तथा उक्त मकान का पट्टा प्रार्थी के हक में पुराने कब्जे व स्वामित्व के आधार पर सम्पूर्ण रिपोर्ट कर विधिक प्रक्रिाओं का पालन कर विधिक एवं वैध रूप से मौके अनुसार जारी किया गया है तथा उक्त पट्टे का रजिस्ट्रेशन उप पंजीयक गुढागौड़जी के यहां दिनांक 5.1.2018 को हुआ है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित मकान का प्रार्थी के हक में पट्टा संख्या43 रजिस्टर्ड पट्टा है। प्रार्थी उक्त मकान का रजिस्टर्ड मालिक है। प्रार्थी का विधिवत विद्युत कलेक्शन है। उक्त मकान पिछले 50 वर्षों से पूर्व से स्व हीरालाल ने ग्राम गुढागोड़जी में प्रार्थी के दादा बंशीधर को दिया था जिसके सम्बन्ध में एक लिखावट भी दिनांक 5.5.1971 को हीरालाल ने की थी तथा बाद में स्वामित्व कब्जे के सभी अधिकार प्रार्थी के दादा बंशीधर को सौंप दिये थे । इस प्रकार पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से पहले प्रार्थी के दादा बंशीधर, फिर प्रार्थी के पिता महावीर प्रसाद व वर्तमान में प्रार्थी के स्वामित्व कब्जे का है। प्रार्थी के पिता ने जरिये आपसी फैमिली सेटलमेन्ट उक्त मकान प्रार्थी को दे दिया। मकान काफी पुाना जर्जर हो गया है। प्रार्थी व उसके परिवार द्वारा ही उक्त मकान का मलबा जो रास्ते में गिर गया था उसे उठाया गया है। प्रार्थी व उसके परिवार द्वारा ही उक्त मकान में चारदिवारी व लेटरिन बाथरूम बनवाये हैं, सुधार कार्य करवाये गये हैं। तथाकथित एक व्यक्ति संजय शर्मा ने दिनांक 26.6. 2018 को प्रार्थी को उक्त मकान पर आया तथा मकान का तथाकथित पट्टा संख्या 18 दिनांक 05.5.2009 होना बताया। प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दी है। संजय शर्मा पुत्र शम्भुनात शर्मा निवासी गुढागौड़जी के नाम से तथाकथित पट्टा संख्या 18 दिनांक 5.5.2009 गैरनिगरानीकार बिना किसी आधार पर जारी किया है। तत्कालीन सरपंच व वार्ड पंच प्रार्थी व उसके परिवार से रंजिस रखते थे व राजनैतिक द्वेषता रखते हैं, इसलिये तथाकथित पट्टा गलत रूप से ब्लेकमेल करने के लिये जारी किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी उक्त वर्णित मकान पर बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक काबिज है, प्रार्थी का रजिस्टर्ड पट्टा संख्या 43 दिनांक 20.7.2017 है जिसका रजिस्ट्रेशन दिनांक 5.1.2018 को उप पंजीयक गुढा गोड़जी से हुआ है। 50 वर्षों से अधिक समय से प्रार्थी [illegible] परिवार उक्त वर्णित मकान पर बतौर मालिक काबिज रहा है। प्रार्थी की रिहायश है [illegible] विधिक प्रक्रिया का पालन कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.09 16:51:59 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

मौके की जांच कर सही रूप से प्रार्थी के हक में पट्टा संख्या 43 दिनांक 20.7.2017 जारी किया गया है। राज0 पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 ए के तहत आबादी में स्थित कब्जेशुदा 50 वर्षों से कब्जेशुदा आवासीय मकानों का पट्टा जारी किया जा सकता है। संजय शर्मा जिसके नाम से तथाकथित पट्टा संख्या 18 दिनांक 5.5.2009 जारी किया गया है, वह कभी गुढा में नहीं रहा, ना जन्म हुआ ना कभी इसका कोई पूर्वज यहां रहा है, ना ही कभी गुढा में इनकी कोई रिहायश रही है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में दर्ज प्रोविजनों के अन्तर्गत उक्त पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। गैर निगरानीकार संख्या–2 संजय शर्मा भूमाफियों से मिलकर उक्त अवैध, गलत साजसी फर्जी तथाकथित पटटा संख्या 18 की आड में प्रार्थी के मकान को विक्रय करना चाहता है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत गुढागोड़जी द्वारा जारी प्रस्ताव व पट्टा संख्या 18 दिनांक 5.5.2009 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस विद्धान अधिवक्ता गैर निगरानीकार का कथन है कि –निगरानीकार ने पंचायत के सरपंच, ग्राम सेवक अथवा अन्य अधिकारियों को धोखे में रखकर अथवा अन्य कोई मुगालता देकर पट्टा नंबर 43 गलत जारी करवाया है क्योंकि जिस सम्पति को निगरानीकर्ता अपनी होना कहता है वह सम्पति स्व0 श्री मोहनलाल के परिवार की रही है। मोहनलाल के वंशजों में वंशज संजय शर्मा के नाम दिनांक 05.5.2009 को पट्टा नंबर 18 जारी किया हुआ है जो बाकायदा उप–पंजीयक महोदय के कार्यालय में पंजीबद्ध है। इस प्रकार एक ही संस्था व समान अधिकारी द्वारा एक ही सम्पति के बाबत जो पूर्व में पट्टा बनाया जा चुका है उसी सम्पति का उसी संस्था व अधिकारी द्वारा दोबारा पट्टा बनाया जाता है तो वह स्वतः नल एण्ड वाईड है। निगरानीकार ने सही तथ्यों को छिपाकर बेईमानीपूर्वक पट्टा जारी करवाकर गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की है। पट्टा सन् 2009 में जारी हुआ है जो विधिवत रजिस्टर्ड पट्टा है जिसको निरस्त करवाये बिना उसी सम्पति का बाद में जारी किया गया पट्टा स्वतः नल एण्ड वोईड है । अतः निगरानीकार की यह निगरानी आधारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.09 16:51:59 IST
Reason: SelfAttested

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार एवं गैर निगरानीकार की बहस पर मनन किया। ग्राम पंचायत गुढा–गौड़जी की पट्टा संख्या 18 दिनांक 05.5.2009 की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पट्टा पत्रावली में संजय शर्मा द्वारा दिनांक 30.4.09 को एक प्रिंन्टेड फोरमेट जिसमें विषय– हासिल करने भूमि का विक्रय विलेख छपा हुआ है। उक्त फार्म में संजय शर्मा पुत्र शम्भूनाथ शर्मा जाति ब्राहम्मण निवासी गुढागौड़जी खाली स्थानों पर भरा गया है। भूमि की स्थिति– पुराने मकान खण्डहर हालत में लिंखा गया है। भूमि का क्षेत्रफल 170 वर्गगज लिखा जाकर चारों दिशाओं के पड़ौसियों के नाम अंकित किये गये हैं तथा भूमि पर आधिपत्य– एक सौ वर्ष पुराना अंकित किया गया है तथा भूमि प्राप्त करने का अभिप्रायः कब्जा सुदा पट्टा अंकित किया गया है। पट्टा आवेदन के साथ हल्का पटवारी की गैर मु0 आबादी की रिपोर्ट के साथ बिहार राज्य का पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र, बिहार राज्य का ही स्वय का परिचय पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस आदि दस्तावेज बिहार राज्य के ही प्रस्तुत किये हैं। श्री संजय शर्मा द्वारा ग्राम पंचायत गुढा गोड़जी के समक्ष उक्त पट्टा प्राप्त करने के लिए प्रारूप भरकर जो प्रार्थना पत्र पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें पुराने मकान खण्डर हालत में लिखे हैं तथा करीब 100 वर्ष पुराने अंकित किये हैं। श्री संजय शर्मा ने प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह अंकित नहीं किया गया वह किस हैसियत से उक्त विवादित पट्टेशुदा भूमि पर काबिज/मालिक है। खण्डहर मकान उसके स्वामित्व का कैसे है, वह कहां का है ? किसने उक्त खण्ड मकाना बनाया था, उसके पिता ने, दादा ने या अन्य किसी रिश्तेदार ने 100 वर्ष पहले बनाया था, प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं है। अगर उसके पूर्वजों का पुश्तैनी मकान रहा है तो वह अकेला किस हैसियत से पट्टा प्राप्त कर सकता है। गैर निगरानीकार संख्या 2 श्री संजय शर्मा द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष उक्त खण्डर भूमि उनकी या उनके पूर्वजों के स्वामित्व की रही हो ऐसा कोई दस्तावेज ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। श्री संजय शर्मा ने जब बिहार के दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं तो गुढा–गौड़जी में विवादित खण्डर मकान पर उसका कब्जा कैसे माना गया। ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ऐसा कोई अंकन नहीं है। ग्राम पंचायत गुढा गोड़जी की पट्टा पत्रावली में आबादी भूमि के निरीक्षण कमीशन की रिपोर्ट दिनांक 20.5.2009 भी एक छपा–छपाया फोरमेट है जिस पर सिर्फ टिक किये गये यह किसके द्वारा कब किये गये हैं,

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.09 16:51:59 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

कोई स्पष्ट रिपोर्ट नहीं है। यह फार्म भी हस्तलिपि देखने से पंचों द्वारा न भरा जाकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरा जाना/लिखा जाना प्रतीत होता है। पत्रावली में फैसला फार्म आज्ञाओं की सूची आदि सभी साईक्लोस्टाइल पेपर के रिक्त स्थानों को भरकर पट्टा संख्या 18 दिनांक 05.5.2009 जारी किया गया है, जो विधिक प्रावधानों के विपरित है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व विवादित भूमि/खण्डर मकान किसके स्वामित्व का है इसकी सहीं जांच नहीं की गई है। पट्टा पत्रावली साईक्लोस्टाइल फोरमेट के रिक्त स्थानों की खानापूति कर बिना तथ्यों की सही जांच के पट्टा संख्या 18 दिनांक 5.5.2009 श्री संजय शर्मा के नाम से जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थियों को देखते निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार की जाकर हस्तगत प्रकरण में श्री संजय शर्मा पुत्र श्री शम्भुनाथ शर्मा निवासी गुढा गौड़जी के नाम जारी पट्टा संख्या–18 दिनांक 05.05.2009 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

अति. जिला कलक्टर झुंझुनू

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर झुंझुनू

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.09 16:51:59 IST
Reason: SelfAttested